FORM 8-B*

Appointment of Polling Agents

[See Rule 27]

The state of the s	a candidate at the above election,			
fas a polling agent to attend Polling Statio				
No. at				
NI.				
Place				
Date	Signature of Candidate.			
I agree to act as such polling agent.				
Place				
Date	Signature of Polling Agent.			
Declaration by polling agent to be signed before	e Presiding Officer.			
I hereby declare that at the above election I wi	Il not do anything forbidden by Section 23 of the Delhi			
Municipal Corporation-Act, 1957 as amended by Delhi	Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011 which			
**I have read/has been read over to me.				
Date	Signature of Polling Agent			
Signed before me.	Presiding Officer			
Date				

Section 23 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (As amended);-

- 23. Maintenance of secrecy of Voting: -
- (1) Every officer or clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorized by or under any law) communicate to any information calculated to violate such secrecy.
- (2) Any person who contravenes the provision of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine, or with both.

^{*}To be handed over to the Polling Agent for production at the Polling Station.

^{**}Strike off the inappropriate alternative.

फार्म 8 - ख मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति

[नियम	27	(1)	देरिवए
		(.)	

वार्ड संख्या एवं नाम	• से दिल्ली नग	ार निगम का निर्वाचन .
मैं		
एक उम्मीदवार एतद्द्वारा	का	को
भतदान एजेन्ट के रूप में मतदान केन्द्र संख्या	जो जो	पर
स्थित है, नियुक्त करता हूँ।		y = \$
स्थान		उम्मीदवार के हस्ताक्षर
दिनांक		
में मतदान एजेन्त	ट के रूप में कार्य करने के लिए सहमत ह	
स्थान		मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर
दिनांक		
मतदान एजेन्ट द्वारा घोषणा पर हस्ता	क्षर पीठासीन अधिकारी के सामने किया उ	शएँ।
में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्	वित चुनाव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूगा	ो दिल्ली नगर निगम अधिनियम
1957** की धारा 23 द्वारा निषिद्ध हो और ि	जिसे मैंने पढ़ लिया है । जिसे मुझे पढ़कर	युना दिया गया है ।
दिनांक		मतदान एजेन्ट के हस्ताक्षर
मेरे सामने हस्ताक्षर किया गया		
दिनांक	पीठासीन अधिकारी	
* मतदान केन्द्र पर प्रस्तुत करने के	लिए मतदान एजेन्ट को दिया जाए ।	
** अनुधित विकल्प को काट दें।		
दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957	की धारा 23 :-	
23 - मतदान गोपनीयता बनाए रखना		
	The state of the s	

- (1) ऐसा प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजेन्ट या अन्य व्यक्ति जो चुनाव में मतदान को दर्ज करने या गिनती करने की इयूटी कर रहा हो, गोपनीयता बनाए रखेगा और इसमें सहायता हैगा और (किसी विधि द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत किए जाने के अलावा) गोपनीयता बनाए रखने के लिए परिचालित किसी जानकारी की सम्प्रेषित नहीं करेगा ।
- (2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, दण्ड का भागीवार होगा जिसकी अविध तीन महीने या अर्थदण्ड या दोनों हो सकती है।"